

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रत्येक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-संजाल संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: मोहम्मदखेड़ा			पटवारी हस्ता: जगदीश्वर			तहसील: टोंकखुर्द			जिला: देवास		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग को आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या/कोटिंग में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है (रु. में) 3. भू-राजस्व/भू-भाटक	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. भू-पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 1. बंधक प्रभार 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	भूमि पर वित्तीय तथा फसल के ब्यौरे	फसल के ब्यौरे	कलक के अधीन क्षेत्रफल	वर्ष के अंत में कलक संख्या (A) से (9) तक में परिवर्तन हेतु सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1013754148			23.6560 हेक्टेयर								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0011/अ-20(3)/2024-25 एवं आदेश दिनांक 21/08/2024 के अनुसार दिनांक 05/11/2024 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज है।
814DTA099E20H0											क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म.प. शासन वन विभाग को आशंकित की गई इंदौर-बुंदेली रेलवे लाइन के निर्माण में व्ययवर्तन हेतु आवंटित वन भूमि के विस्तृत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आशंकित भूमि रकबा 23.65 है।
			रु. 0.00								

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है। इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

डिजिटली साईड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।

प्रवेशियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

खसरा

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

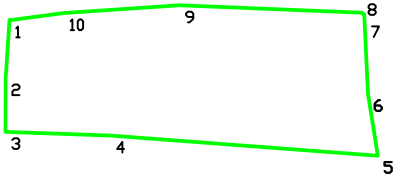
भूमि के भाग को प्लॉक आईडी		भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)		भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भार (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	तहसील: टोंकबुर्द			जिला: देवास	वर्ष: 2024-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1220146479	2841 (S)	41	92.60 हेक्टेयर	(शासकीय)							कलेक्टर देवास व क्र.0011/अ.20/3/2024-25 एवं आदेश दिनांक 21/08/2024 के अनुसार दिनांक 05/11/2024 को खसरा विप्लवी में परिवर्तन दर्ज	
8137LSP0632NH0											कलेक्टर देवास व क्र.0011/अ.20/3/2024-25 के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु मा.प्र. शासन वन विभाग को आश्रित की गई राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंटर-स्टेट मार्ग को फॉर नैन किये जाने हेतु वन क्षतिपूर्ति आश्रित भूमि रकबा 36.00 है.	

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साईड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रमाणित व सुधार संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

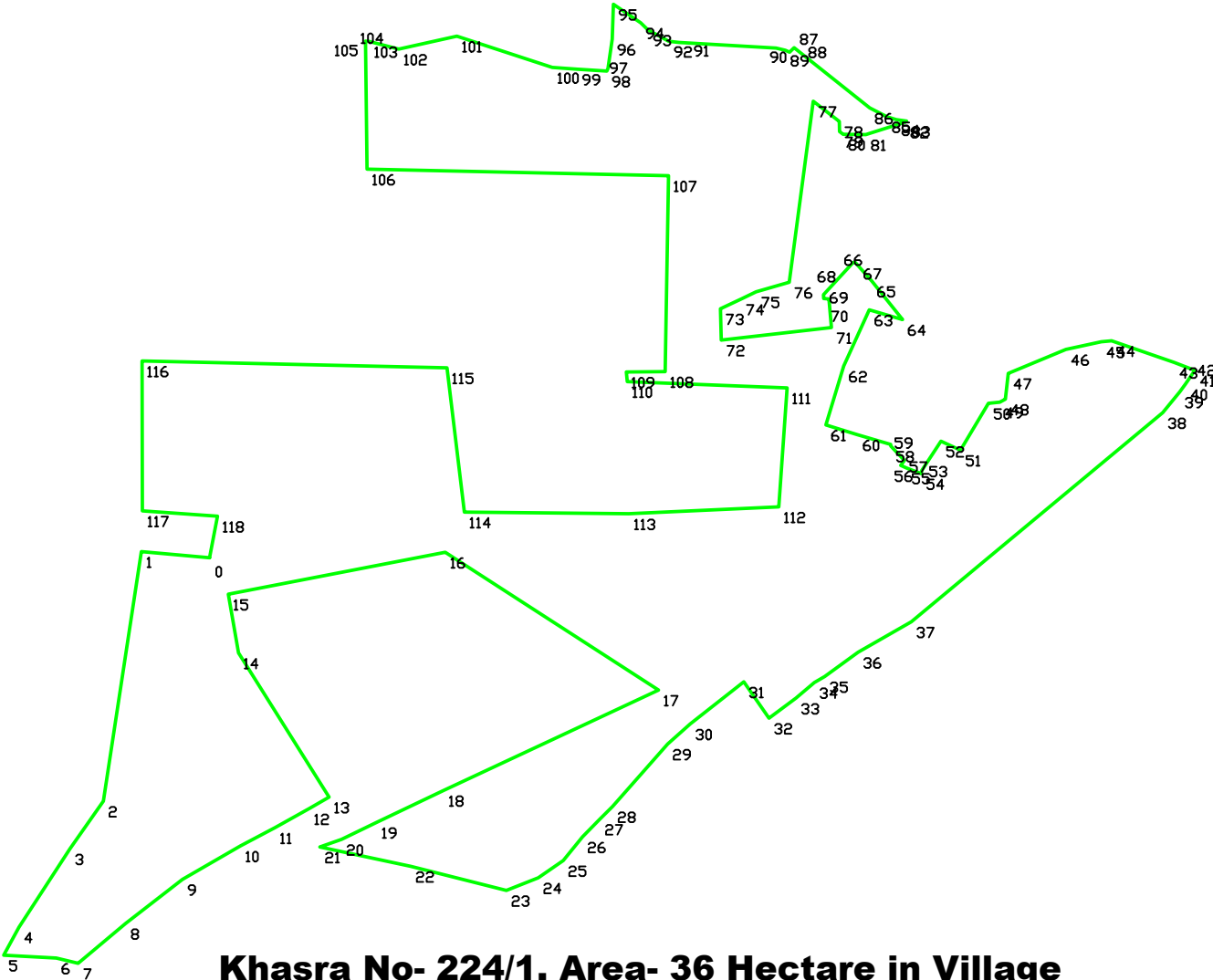
GEO REFERENCE MAP

Compensatory Afforestation Land (Non Forest Land)



Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
1	23° 8' 28.478" S	76° 17' 42.265" W
2	23° 8' 26.74" S	76° 17' 42.047" W
3	23° 8' 25.119" S	76° 17' 41.953" W
4	23° 8' 24.85" S	76° 17' 45.365" W
5	23° 8' 23.836" S	76° 17' 54.055" W
6	23° 8' 25.718" S	76° 17' 53.835" W
7	23° 8' 28.114" S	76° 17' 53.842" W
8	23° 8' 28.171" S	76° 17' 53.774" W
9	23° 8' 28.672" S	76° 17' 47.831" W
10	23° 8' 28.613" S	76° 17' 44.051" W

Khasra No- 5/1, Area- 4.053 Hectare in Village Mohammad Kheda Tahsil Tonk Khurd Dist. Dewas(M.P.)



Khasra No- 224/1, Area- 36 Hectare in Village Mohammad Kheda Tahsil Tonk Khurd Dist. Dewas(M.P.)

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
0	23° 7' 31.094" S	76° 17' 23.242" W
1	23° 7' 31.41" S	76° 17' 20.816" W
2	23° 7' 23.231" S	76° 17' 19.013" W
3	23° 7' 21.71" S	76° 17' 17.732" W
4	23° 7' 19.208" S	76° 17' 15.772" W
5	23° 7' 18.305" S	76° 17' 15.176" W
6	23° 7' 18.122" S	76° 17' 17.048" W
7	23° 7' 17.913" S	76° 17' 17.819" W
8	23° 7' 19.151" S	76° 17' 19.588" W
9	23° 7' 20.513" S	76° 17' 21.697" W
10	23° 7' 21.522" S	76° 17' 23.826" W
11	23° 7' 22.066" S	76° 17' 25.092" W
12	23° 7' 22.639" S	76° 17' 26.347" W
13	23° 7' 22.989" S	76° 17' 27.081" W
14	23° 7' 27.902" S	76° 17' 24.107" W
15	23° 7' 29.859" S	76° 17' 23.847" W
16	23° 7' 30.884" S	76° 17' 31.673" W
17	23° 7' 25.978" S	76° 17' 39.045" W
18	23° 7' 23.019" S	76° 17' 31.189" W
19	23° 7' 22.075" S	76° 17' 28.736" W
20	23° 7' 21.571" S	76° 17' 27.449" W
21	23° 7' 21.356" S	76° 17' 26.664" W
22	23° 7' 20.565" S	76° 17' 29.876" W
23	23° 7' 19.611" S	76° 17' 33.248" W
24	23° 7' 19.976" S	76° 17' 34.41" W
25	23° 7' 20.502" S	76° 17' 35.333" W
26	23° 7' 21.254" S	76° 17' 36.065" W
27	23° 7' 21.812" S	76° 17' 36.718" W
28	23° 7' 22.205" S	76° 17' 37.193" W
29	23° 7' 24.18" S	76° 17' 39.273" W
30	23° 7' 24.807" S	76° 17' 40.118" W
31	23° 7' 26.108" S	76° 17' 42.105" W
32	23° 7' 24.865" S	76° 17' 42.94" W
33	23° 7' 25.481" S	76° 17' 43.937" W
34	23° 7' 25.968" S	76° 17' 44.624" W
35	23° 7' 26.148" S	76° 17' 45.004" W
36	23° 7' 26.895" S	76° 17' 46.242" W
37	23° 7' 27.813" S	76° 17' 48.198" W
38	23° 7' 34.306" S	76° 17' 57.555" W
39	23° 7' 34.961" S	76° 17' 58.198" W
40	23° 7' 35.211" S	76° 17' 58.419" W

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
41	23° 7' 35.647" S	76° 17' 58.777" W
42	23° 7' 35.715" S	76° 17' 58.62" W
43	23° 7' 35.947" S	76° 17' 58.056" W
44	23° 7' 36.764" S	76° 17' 55.858" W
45	23° 7' 36.75" S	76° 17' 55.488" W
46	23° 7' 36.555" S	76° 17' 54.209" W
47	23° 7' 35.862" S	76° 17' 52.109" W
48	23° 7' 35.015" S	76° 17' 51.958" W
49	23° 7' 34.924" S	76° 17' 51.756" W
50	23° 7' 34.904" S	76° 17' 51.345" W
51	23° 7' 33.403" S	76° 17' 50.262" W
52	23° 7' 33.73" S	76° 17' 49.58" W
53	23° 7' 32.798" S	76° 17' 48.846" W
54	23° 7' 32.693" S	76° 17' 48.812" W
55	23° 7' 32.902" S	76° 17' 48.305" W
56	23° 7' 33" S	76° 17' 48.101" W
57	23° 7' 33.156" S	76° 17' 48.242" W
58	23° 7' 33.656" S	76° 17' 47.78" W
59	23° 7' 33.708" S	76° 17' 47.779" W
60	23° 7' 34.081" S	76° 17' 46.618" W
61	23° 7' 34.46" S	76° 17' 45.499" W
62	23° 7' 36.375" S	76° 17' 46.243" W
63	23° 7' 38.191" S	76° 17' 47.255" W
64	23° 7' 37.814" S	76° 17' 48.427" W
65	23° 7' 39.134" S	76° 17' 47.401" W
66	23° 7' 39.784" S	76° 17' 46.835" W
67	23° 7' 39.784" S	76° 17' 46.767" W
68	23° 7' 38.766" S	76° 17' 45.646" W
69	23° 7' 38.641" S	76° 17' 45.649" W
70	23° 7' 38.617" S	76° 17' 45.836" W
71	23° 7' 37.67" S	76° 17' 45.872" W
72	23° 7' 37.438" S	76° 17' 41.914" W
73	23° 7' 38.474" S	76° 17' 41.942" W
74	23° 7' 38.756" S	76° 17' 42.687" W
75	23° 7' 38.974" S	76° 17' 43.246" W
76	23° 7' 39.235" S	76° 17' 44.446" W
77	23° 7' 45.177" S	76° 17' 45.631" W
78	23° 7' 44.465" S	76° 17' 46.524" W
79	23° 7' 44.131" S	76° 17' 46.513" W
80	23° 7' 44.033" S	76° 17' 46.641" W

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
81	23° 7' 43.987" S	76° 17' 47.445" W
82	23° 7' 44.333" S	76° 17' 48.878" W
83	23° 7' 44.366" S	76° 17' 48.928" W
84	23° 7' 44.43" S	76° 17' 48.564" W
85	23° 7' 44.543" S	76° 17' 48.231" W
86	23° 7' 44.862" S	76° 17' 47.633" W
87	23° 7' 46.977" S	76° 17' 45.042" W
88	23° 7' 46.837" S	76° 17' 44.873" W
89	23° 7' 46.908" S	76° 17' 44.722" W
90	23° 7' 46.994" S	76° 17' 44.401" W
91	23° 7' 47.341" S	76° 17' 40.942" W
92	23° 7' 47.397" S	76° 17' 40.576" W
93	23° 7' 47.808" S	76° 17' 39.852" W
94	23° 7' 48.055" S	76° 17' 39.607" W
95	23° 7' 48.713" S	76° 17' 38.665" W
96	23° 7' 47.562" S	76° 17' 38.559" W
97	23° 7' 46.604" S	76° 17' 38.355" W
98	23° 7' 46.516" S	76° 17' 38.308" W
99	23° 7' 46.63" S	76° 17' 37.246" W
100	23° 7' 46.727" S	76° 17' 36.367" W
101	23° 7' 47.919" S	76° 17' 33.014" W
102	23° 7' 47.589" S	76° 17' 30.915" W
103	23° 7' 47.889" S	76° 17' 29.87" W
104	23° 7' 47.906" S	76° 17' 29.741" W
105	23° 7' 47.906" S	76° 17' 29.741" W
106	23° 7' 43.675" S	76° 17' 29.566" W
107	23° 7' 42.957" S	76° 17' 40.326" W
108	23° 7' 36.488" S	76° 17' 39.854" W
109	23° 7' 36.542" S	76° 17' 38.465" W
110	23° 7' 36.221" S	76° 17' 38.481" W
111	23° 7' 35.748" S	76° 17' 44.181" W
112	23° 7' 31.831" S	76° 17' 43.67" W
113	23° 7' 31.853" S	76° 17' 38.3" W
114	23° 7' 32.181" S	76° 17' 32.427" W
115	23° 7' 36.976" S	76° 17' 32.067" W
116	23° 7' 37.71" S	76° 17' 21.183" W
117	23° 7' 32.757" S	76° 17' 20.926" W
118	23° 7' 32.454" S	76° 17' 23.601" W

1	2	3
21.08.2024	प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन.एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन मांग की गई। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360/तक/का.य./लो.स्वा.या.वि. /खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार म. प्र. जन निगम मर्यादित परियोजना क्रियांवयन ईकाई इंदौर के अंतर्गत देवास जिले के 324 ग्रामों की खातेगांव-कन्नौद समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन लोक यांत्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 16-21/2020/2/34 भोपाल दिनांक 20.06.2023 से प्राप्त हुई हैं। जिसके क्रियांवयन हेतु वन भूमि प्रभावित होने से 5.712 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को सौंपी जाना इसके अतिरिक्त योजना के अन्य कार्य जैसे एम. बी.आर., आई.पी.एस एवं उच्च स्तरीय टंकियों के निर्माण हेतु भी वन भूमि प्रभावित होगी। अतः उक्त योजना के क्रियांवयन हेतु उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में गैर वन भूमि/राजस्व भूमि कुल रकबा 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मांग की गई। मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5 A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08. 2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जे. रेलवे लाइन के निर्माण हेतु देवास जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित कुल रकबा 45.715 हेक्टेयर वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु इतनी ही (45.715 हेक्टेयर) गैर वनभूमि/राजस्व भूमि की मांग की है। तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर, तहसील टोंकखुर्द के ग्राम मोहम्मद खेड़ा स्थित भूमि सर्वे नंबर 5/1, 10, 224/1 क्रमशः रकबा 24.695 हेक्टेयर मद बर्डी, 23.65 हेक्टेयर मद बर्डी, 41.92 हेक्टेयर मद बर्डी, कुल किता 03 कुल रकबा 90.265 हेक्टेयर भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/आवंटन करने के संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया बाद समयावधि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा टी. एन. सी. देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद टोंकखुर्द, ग्राम पंचायत ग्राम मोहम्मद खेड़ा, लोक निर्माण विभाग सोनकच्छ, स्वास्थ्य विभाग	

1	2	3
1	टोंकखुर्द, पी. एच. ई. टोंकखुर्द, विद्युत विभाग टोंकखुर्द, थाना प्रभारी टोंकखुर्द, शिक्षा विभाग टोंकखुर्द से भूमि आवंटन के संबंध में अभिमत चाहा गया। तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि - 1- ग्राम मोहम्मद खेड़ा का कुल चरनोई का रकबा 18.700 हेक्टेयर है। ग्राम में 02 प्रतिशत सुरक्षित चरनोई का रकबा 7.680 हेक्टेयर है इस प्रकार 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा सुरक्षित रहता है। 2- सरपंच द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 224/1 तथा 224/2 पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबर पर निस्तारी तालाब, कन्ट्रोल ट्रेंच, परकोलेशन टैंक, वृक्षारोपण तथा जंगल की लाईट के पोल बताया जाकर आपत्ति ली गई है। ग्राम पंचायत की आपत्ति पर विस्तृत जांच रिपोर्ट ली गई। जिसमें पाया गया कि ग्राम मोहम्मद खेड़ा में खसरा क्रमांक 224/1 रकबा 41.92 हेक्टेयर में निस्तारी तालाब रकबा लगभग 0.80 हेक्टेयर, कन्ट्रोल ट्रेंच पूर्व में 400 के लगभग बने हैं। मिट्टी की जल क्षमता बढ़ाने के लिये छोटे छोटे गड्ढे बनाये गये हैं। पर्लोलेशन ट्रेंच रकबा 0.60 हेक्टेयर पर पानी की क्षमता बढ़ाने के लिये तालाब निर्मित किया गया है तथा रणायकलां से मोहम्मद खेड़ा जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क के लगभग 01 किलोमीटर लम्बी सड़क उक्त सर्वे क्रमांक से निकलती है। आसपास ग्राम पंचायत जनोलीखुर्द द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार सर्वे क्रमांक 224/1 रकबा 41.92 हेक्टेयर मद बर्डी में से रकबा 5.00 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत जनोलीखुर्द द्वारा कार्य कराये जाने एवं सड़क निर्मित होने के कारण शेष रकबा 36.92 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना उचित बताया गया है। सुनिल पिता देवकरण तथा मुन्नालाल पिता रामसिंह द्वारा आपत्ति आवेदन प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आपत्ति ली है। आपत्तिकर्ता सुनील पिता देवकरण, मुन्नालाल रामसिंह, देवकरण पिता रामसिंह निवासी ग्राम मोहम्मद खेड़ा द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर उनका कब्जा होने संबंधी आपत्ति निराधार होने से निरस्ती योग्य है। टी. एन. सी. देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद टोंकखुर्द, लोक निर्माण विभाग सोनकच्छ, स्वास्थ्य विभाग टोंकखुर्द, पी. एच. ई. टोंकखुर्द, विद्युत विभाग टोंकखुर्द, थाना प्रभारी टोंकखुर्द, शिक्षा विभाग टोंकखुर्द	
3		
4		

1

2

3

से भूमि आवंटन के संबंध में समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं होने की दशा में उनकी गौन स्वीकृति मानी जाती है।

तहसीलदार टोंकखुर्द के द्वारा प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर एवं वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन .एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360 /तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार खातेगांव-कन्नौद समुह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जे. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की अनुशंसा निम्न तालिका अनुसार की है -

क.	विभाग का नाम	हस्तांतरण/आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर		
		भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1- 24/1	41.92	36.00
		2- 5/1	24.695	4.053
		योग		40.053
2	खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000
3	इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 - 10	23.65	23.65
		2- 5/1	24.695	8.642
		योग		32.922
	कुल			83.703

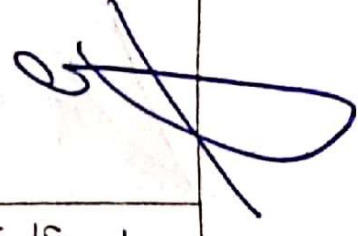
9

1	2	3																		
	प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन से सहमत। म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय 2 कण्डिका 17 अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित/आरक्षित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा। प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर एवं वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन .एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360/तक/का.यं./लो. स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार खातेगांव-कन्नौद समुह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जे. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर राजस्व भूमि निम्न तालिका अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म. प्र. शासन वन विभाग को आरक्षित किये जाने की प्रभारी अधिकारी नजूल ने अनुशंसा की हैं-																			
	<table><tr><th rowspan="2">क.</th><th rowspan="2">विभाग का नाम</th><th colspan="3">हस्तांतरण/आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर</th></tr><tr><th>भूमि सर्वे क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>प्रस्तावित रकबा</th></tr><tr><td>1</td><td>राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को</td><td>1- 224/1</td><td>41.92</td><td>36.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2- 5/1</td><td>24.695</td><td>4.053</td></tr></table>	क.	विभाग का नाम	हस्तांतरण/आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर			भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा	1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को	1- 224/1	41.92	36.00			2- 5/1	24.695	4.053	
क.	विभाग का नाम			हस्तांतरण/आरक्षण हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर																
		भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा																
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को	1- 224/1	41.92	36.00																
		2- 5/1	24.695	4.053																

1	2	3
	फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	योग
2	खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज.प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1 24.695 12.000
3	इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 - 10 23.65 23.65 2- 5/1 24.695 8.642 योग 32.922
	कुल	83.703

उपरोक्त कार्यवाही उपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय दो की कंडिका 11 अनुसार प्रकरण में राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि आरक्षित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति होने से प्रकरण जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारण हेतु प्रस्ताव क्रमांक 10/2024-25 दिनांक 20 अगस्त 2024 प्रस्तुत किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा उक्त प्रस्ताव - तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन, प्रभारी अधिकारी नजूल के प्रतिवेदन, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर एवं वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन .एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360 /तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक 16.08.2024 अनुसार खातेगांव-कन्नौद समुह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जे.

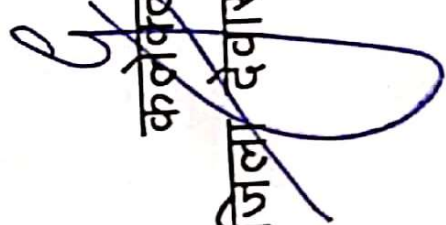


67

राजस्व आदेश- पत्र अनुवृत्ति - पत्र
मामला क्रमांक 0011/अ-20 (3)/2024 -2025

1	2	3																																																						
	रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर राजस्व भूमि निम्न तालिका अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म. प्र. शासन वन विभाग को आरक्षित किये जाकी अनुशंसा की है- <table> <tr> <th>क.</th><th>विभाग का नाम</th><th>हस्तांतरण/आस्था हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर</th><th>भूमि सर्वे क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>प्रस्तावित रकबा</th></tr> <tr> <td>1</td><td>राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए को इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि</td><td>1- 24/1</td><td>41.92</td><td>36.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>2- 5/1</td><td>24.695</td><td>4.053</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>योग</td><td></td><td>40.053</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि</td><td>5/1</td><td>24.695</td><td>12.000</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि</td><td>1 - 10</td><td>23.65</td><td>23.65</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>2- 5/1</td><td>24.695</td><td>8.642</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>योग</td><td></td><td>32.922</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td></td><td></td><td>83.703</td><td></td></tr> </table>	क.	विभाग का नाम	हस्तांतरण/आस्था हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर	भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा	1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए को इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1- 24/1	41.92	36.00				2- 5/1	24.695	4.053				योग		40.053		2	खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000		3	इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 - 10	23.65	23.65				2- 5/1	24.695	8.642				योग		32.922			कुल			83.703		
क.	विभाग का नाम	हस्तांतरण/आस्था हेतु प्रस्तावित भूमि हेक्टेयर	भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा																																																			
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए को इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1- 24/1	41.92	36.00																																																				
		2- 5/1	24.695	4.053																																																				
		योग		40.053																																																				
2	खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000																																																				
3	इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 - 10	23.65	23.65																																																				
		2- 5/1	24.695	8.642																																																				
		योग		32.922																																																				
	कुल			83.703																																																				
	अतः प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन, प्रभारी अधिकारी नजूल, के प्रतिवेदन, जिला नजूल निर्वर्तन समिति के प्रस्ताव क्रमांक 10/2024-25 दिनांक 20 अगस्त 2024, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर वनमंडलाधिकारी वन मंडल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन .एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360 /तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक																																																							

अतः प्रकरण में तहसीलदार टोंकखुर्द का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द के प्रतिवेदन, प्रभारी अधिकारी नजूल, के प्रतिवेदन, जिला नजूल निर्वर्तन समिति के प्रस्ताव क्रमांक 10/2024-25 दिनांक 20 अगस्त 2024, पटवारी प्रतिवेदन, विज्ञप्ति उपरान्त कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास के पत्र क्रमांक /डीएम/2024/4281 देवास दिनांक 30.05.2024 अनुसार देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना एन.एच. 59-ए) इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 40.053 हेक्टेयर भूमि प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में गैर वनभूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में आवंटन, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक 2360/तक/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./खण्ड/2024 देवास दिनांक

मामला क्रमांक 0011/8-20(ड)/2024	3																																																		
1	2																																																		
	6.08.2024 अनुसार खातेगांव-कन्नौद समुह जल प्रदाय योजना हेतु 12.000 हेक्टेयर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक 12.5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर-बुदनी न्यु बी.जे. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास जिले के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु 32.922 हेक्टेयर राजस्व भूमि निम्न तालिका अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म. प्र. शासन वन विभाग को आरक्षित की जाती हैं- <table> <tr> <th>क.</th><th>विभाग का नाम</th><th colspan="3">क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित भूमि</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>भूमि सर्वे क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>प्रस्तावित रकबा</th></tr> <tr> <td>1</td><td>राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि</td><td>1- 224/1</td><td>41.92</td><td>36.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>2- 5/1</td><td>24.695</td><td>4.053</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>योग</td><td></td><td>40.053</td></tr> <tr> <td>2</td><td>खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि</td><td>5/1</td><td>24.695</td><td>12.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि</td><td>1 - 10</td><td>23.65</td><td>23.65</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>2- 5/1</td><td>24.695</td><td>8.642</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>योग</td><td></td><td>32.922</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td></td><td></td><td>83.703</td></tr> </table>	क.	विभाग का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित भूमि					भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा	1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1- 224/1	41.92	36.00			2- 5/1	24.695	4.053			योग		40.053	2	खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000	3	इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 - 10	23.65	23.65			2- 5/1	24.695	8.642			योग		32.922		कुल			83.703
क.	विभाग का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित भूमि																																																	
		भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	प्रस्तावित रकबा																																															
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 पुराना एन.एच. 59 ए इंदौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि	1- 224/1	41.92	36.00																																															
		2- 5/1	24.695	4.053																																															
		योग		40.053																																															
2	खातेगांव-कन्नौद ग्रा.य.ज. प्र.योजना देवास के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु भूमि	5/1	24.695	12.000																																															
3	इंदौर-बुदनी रेलवे लाईन के निर्माण में व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि	1 - 10	23.65	23.65																																															
		2- 5/1	24.695	8.642																																															
		योग		32.922																																															
	कुल			83.703																																															
	 कलेक्टर, जिला देवास म. प्र.																																																		

कलेक्टर,
जिला देवास म. प्र.